



कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- झालावाड़ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा आर.ए.सी.सी. के उप प्रबन्धक एवं ऑडिटर सहायक (प्राईवेट व्यक्ति) 30 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

जयपुर, 11 सितम्बर, बुधवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. की झालावाड़ इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये प्रियांश गोयल उप प्रबंधक एस.बी.आई. बैंक शाखा आर.ए.सी.सी. झालावाड़ व गजेन्द्र कुमावत ऑडिटर सहायक फर्म मिलिन्द न्याती एण्ड कंपनी (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से 30 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ए.सी.बी. की झालावाड़ इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसका औद्योगिक ऋण पास करवाने की एवज में आरोपी प्रियांश गोयल उप प्रबंधक एस.बी.आई. बैंक शाखा आर.ए.सी.सी. झालावाड़ द्वारा गजेन्द्र कुमावत ऑडिटर सहायक फर्म मिलिन्द न्याती एण्ड कंपनी (प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से परिवादी से 40 हजार रुपये रिश्वत की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी कोटा के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कल्याणमल मीणा के सुपरवीजन में एसीबी की झालावाड़ इकाई की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री जगराम मीणा के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपीगण प्रियांश गोयल उप प्रबंधक एस.बी.आई. बैंक शाखा आर.ए.सी.सी. झालावाड़ व गजेन्द्र कुमावत ऑडिटर सहायक फर्म मिलिन्द न्याती एण्ड कंपनी (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से 30 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की **हैल्पलाईन नं. 1064** एवं **Whatsapp हैल्पलाईन नं. 94135-02834** पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।